1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 321 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023 / 520

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1.भंवरलाल पुत्र पेमाराम 2.देवाराम पुत्र पेमाराम 3.हुकली बेवा पेमाराम जाति कुम्हार निवासी चिलानाड़ी तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा	1.मूलाराम पुत्र वनाराम 2.गौतम पुत्र वनाराम 3.वागाराम पुत्र वनाराम 4.सायरी पत्नी वनाराम 5.देवाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी चिलानाड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री बाबुलाल सांखला अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी संख्या 1 से 5 एकपक्षीय

5.विप्रार्थी संख्या 06 अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक– 02-8-2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.भंवरलाल 2.देवाराम पिसरान पेमाराम 3.हुकली पत्नी पेमाराम जाति कुम्हार निवासी चिलानाड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4390 / 2674 क्षेत्रफल 2.0396 हैक्टयर मौजा चिलानाड़ी तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आ[illegible] लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि [illegible] व विप्रार्थी संख्या 05 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 2672 भूमि में से 20 फीट चौड़ा [illegible] नजरी नक्शा बरंग लाल ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं [illegible] संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र को स्वीकार कर इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 1 से 5 बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है। विप्रार्थी संख्या 06 वक्त बहस उपस्थित नहीं हुए।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4391/2674 व विप्रार्थी संख्या 05 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 2672 भूमि में से 20 फीट बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अन्तः में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

04. हमनें विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 4391/2674 व 2672 में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विवादित आराजी खसरा संख्या 2672 के खातेदार विप्रार्थी संख्या 05 ने प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थीगण को रास्ता देने हेतु सहमति दी गई। विप्रार्थी संख्या 01 से 4 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि [illegible] गए,जिसके अनुसार :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested

05. ग्राम चिलानाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा [illegible] हैक्टयर भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 4391/2674 में से रकबा 00.07.10 बीधा व खसरा संख्या 2672 मे से रकबा 00.01 बीधा बरंग ला[illegible] रास्ता भूमि प्रस्तावित की गई हैं तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त होना बताकर सार्वजनिक रास्ता धोषित करने की अनुशंषा की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबंध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझते है,जिसके अनुसार–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 4390/2674 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। प्रस्तावित रास्ता के खसरा संख्या 2672 के खातेदार विप्रार्थी संख्या 05 द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता देने की सहमति स्वरूप इकलाबी जवाब पेश किया गया तथा खसरा संख्या 4391/2674 के खातेदार विप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं हुई है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किए जाने में उन्हे कोई आपति नहीं है,क्योकि यदि आपति होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा नहीं [illegible]। इस कारण प्रस्तावित रास्ता ही स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत व विधि [illegible] प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस [illegible] पहुँचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested

7.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल खसरा संख्या 4391/2674 मे से रकबा 00.07.10 बीधा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर–17762/–प्रति बीधा व खसरा संख्या 2672 मे से रकबा 00.01 बीधा की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–22525/–प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर हेतु देय कुल राशि–8914/–रूपये बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम चिलानाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 4390/2674 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी खसरा संख्या 4391/2674 मे से रकबा 00.07.10 (साढे सात बिस्वा) बीधा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर–17,762/–प्रति बीधा व विप्रार्थी संख्या 05 की खातेदारी खसरा संख्या 2672 मे से रकबा 00.01 (एक बिस्वा) बीधा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–22,525/–प्रति बीघा संलग्न नक्शानुसार बरंग लाल भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 8914/–(अक्षरे आठ हजार नौ सौ चौदह) रूपयें की राशि विप्रार्थी को उनके हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 02.8.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा